यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्या,राजकीय महविद्यालय लक्सर,हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्राचार्या,राजकीय महविद्यालय लक्सर,हरिद्वार**के माह 09/2013से 10/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय पाल सिंह नेगी व॰ लेखापरीक्षक,एवं श्री विश्व प्रकाश सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक26-11-2020 से 03-12-2020 तक श्री शरत श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः**इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री जी॰एस॰ नेगी,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एल॰एस॰ लिंगवाल,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.09.2013 से 01.10.2013 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2010 से 08/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **प्राचार्या,राजकीय महविद्यालय लक्सर,हरिद्वार**का मुख्य कार्यकलाप छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है।

(ब) **प्राचार्या,राजकीय महविद्यालय लक्सर,हरिद्वार**के अन्तर्गत B.Aविषय मे संचालित किया जा रहा है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**व्यय**	**समर्पण**	**बचत**
2017-18	-	86.16	85.93	0.23	-
2018-19	-	119.92	115.33	4.59	-
2019-20	-	16.46	15.85	0.61	-
2020-21 (10/2020)	-	11.62	10.19	1.43	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत(-)
2017-18	शून्य				
2018-19					
2019-20					
2020-21 (upto 10/2020)					

(ii) इकाई को बजट राज्य सरकारसे प्राप्त होता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख सचिव – सचिव - निदेशक - प्राचार्य / संयुक्त निदेशक

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में**प्राचार्या,राजकीय महविद्यालय लक्सर,हरिद्वार**को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन**प्राचार्या,राजकीय महविद्यालय लक्सर,हरिद्वार**की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/2018,03/2016एवं03/2018को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम,2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2-ब

प्रस्तर-1 प्राक्कलन मे कंटिन्जेंसी मद मे रु 16.04 लाख का दोहरा प्रावधान ।

प्रमुख सचिव नियोजन विभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या-738/रा0यो0आ0/2011 दिनांक 17 जून 2011 जो विभिन्न तकनीकी विभागो के प्रमुख सचिव व विभागाध्यक्ष के साथ तकनीकी विषयो पर सम्पन्न कार्यशाला के निष्कर्षो पर कार्यवाही से संबन्धित थी, के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार " विभिन्न विभागो के प्राक्कलन मे पाया गया है कि कंटिजेंसी के अतिरिक्त overhead charges का भी प्रावधान किया जा रहा है जो एक ही प्रकार के कार्यो कि द्विरावृत्ति है। साथ ही contingency शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित मदों का प्रावधान मे प्रथक से भी किये जाने के मामले प्रकाश मे आये है। contingency का प्राविधान लोक निर्माण विभाग कि दर अनुसूची मे निहित रहता है। अतः तदनुसार ही contingency का प्राविधान प्राक्कलन मे किया जाय तथा contingency के अंतर्गत सम्मिलित मदों का प्राविधान कदापि प्रथक से न किया जाय।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 1429/XXIV-(7)/2015-40(02) 2014 दिनांक 07.10.2018 के अंतर्गत रु 454.76 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। जिसके अंतर्गत भूतल एवं प्रथम तल पर भवन निर्माण एवं बाउंडरीवाल,स्थल विकास कार्य, गार्ड रूम, ट्यूबवेल, 75 कि0ली0 क्षमता का ओवरहेड टैंक आदि कार्य स्वीकृत थे । विस्तृत आंगणन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2014 की डी0एस0आर0 दरो पर गठित किया गया था। डीएसआर 2014 मे प्रत्येक मदों की दरो मे 15% CPOH (कांट्रेक्टर प्राफ़िट एवं ओवरहेड) को जोड़कर दरे निर्धारित किये जाने के बावजूद विस्तृत आंगणन मे 4% कंटिन्जेंसी के रूप मे रु 16.04 लाख का अलग से भी प्रावधान किया गया था। जो उक्त शासनादेश के अनुसार एक ही प्रकार के कार्यो की द्विरावृत्ति थी ।

इस संबंध मे महाविद्यालय से पूछे जाने पर बताया गया की डीपीआर कार्यदायी संस्था द्वारा बनाया गया था । महाविद्यालय को जानकारी का अभाव था।

इकाई के उत्तर से स्वतः इस तथ्य की पुष्टि होती है की कार्यदायी संस्था तथा महाविद्यालय द्वारा डीपीआर तैयार करते समय और शासन को प्रेषण के समय प्रमुख सचिव के उक्त शासनादेश को ध्यान मे नहीं रखा गया। परिणामतः कंटिन्जेंसी मद मे रु 16.04 लाख का दोहरा भुगतान कार्यदायी संस्था को प्राप्त हुआ।

प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर02:- कार्यदायी संस्था द्वारा रु 22.50 लाख का अधिक भुगतान प्राप्त किये जाने एवं महाविद्यालय द्वारा आधे-अधूरे भवन निर्माण कार्य का हस्तांतरण प्राप्त किया जाना ।

सहायक अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग हरिद्वार द्वारा स्वीकृति निर्माण कार्यो का भवन हस्तांतरण (मई 2017) से पूर्व मार्च 2017 मे गुणवत्ता परीक्षण महाविद्यालय के नामित सदस्यो एवं कार्यदायी संस्था के सहायक अभियंता की उपस्थिती मे किया गया था। निरीक्षण के समय यह पाया गया था की डी0पी0आर0 के अंतर्गत नाली निर्माण का कार्य हेतु 9.00 लाख का प्रावधान एवं Interlocktile रु 7.00 लाख का प्रावधान था । जो कार्यस्थल पर नहीं हुआ था। Mirror Optic स्वीकृति 168 थी । जिसमे से 29 ही लगी थी। जिससे कार्यदायी संस्था को रु 6.00 लाख की बचत हुई थी । सड़क निर्माण हेतु रु 19.00 लाख का प्रावधान था, जिसमे से 50 प्रतिशत ही कार्य हुआ । जिसमे रु 9.50 लाख की बचत हुई थी । इस प्रकार कुलरु 31.5 लाख की बचत हुई थी। पुनरीक्षण समिति द्वारा इंगित किये जाने पर कार्यदयी संस्था द्वारा स्वीकृति राशि के सापेक्ष लगभग रु 26.00 लाख की राशि सर्विस टैक्स मे जमा होने की बात कही गयी थी। टैक्स की राशि वापस होने पर छूटे गये कार्यो के पूरा किये जाने एवं बचत राशि रु 5.5 लाख (रु 31.50 लाख - रु 26.00 लाख) मे चौकीदार कक्ष बनाये जाने की शर्त पर महाविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा भवन अधिग्रहित करने की स्वीकृति दी गयी थी।

किन्तु कार्यस्थल का भौतिक निरीक्षण एवं महाविद्यालय के पास उपलब्ध अभिलेखो के निरीक्षण मे पाया गया की तीन वर्ष भवन हस्तांतरण होने के पश्चात भी कार्यदायी संस्था द्वारा मात्र नाली निर्माण का कार्य कराया गया था। शेष रु 31.50 लाख -रु9.00 लाख अर्थातरु 22.50 लाख के कार्य किये बिना ही सम्पूर्ण भुगतान प्राप्त कर आधे-अधूरे ढंग से कार्य को सम्पन्न कर भवन हस्तांतरित कर दिया गया।

इस संबंध मे महाविद्यालय से पूछे जाने पर बताया गया की कार्यदायी संस्था को अनुरोध किये जाने पर वर्तमान तक मात्र नाली निर्माण का कार्य ही किया गया। शेष कार्य नहीं किया गया।

महाविद्यालय के उत्तर से इस तथ्य की पुष्टि होती है की कार्यदायी संस्था से आधे-अधूरे निर्माण को हस्तांतरित किया गया । जिससे जहां एक ओर कार्यदायी संस्था को छूटे कार्य का रु 22.50 लाख का अधिक भुगतान प्राप्त हुआ वही महाविद्यालय मे प्राकलन के अनुसार कार्य अभी भी अधूरा था । जिस हेतु समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा न तो निदेशक को और न शासन को अवगत कराया गया।

अतः कार्यदायी संस्था द्वारा रु 22.50 लाख का अधिक भुगतान प्राप्त किये जाने एवं महाविद्यालय द्वारा आधे-अधूरे भवन निर्माण कार्य का हस्तांतरण प्राप्त किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर03:- रु 25.39 लाख के प्रस्तरों के निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही न किया जाना ।

निदेशक उच्च शिक्षा विभाग के पत्र संख्या 10377-10411/2017-18 दिनाक 06 नवंबर 2017 द्वारा प्रमुख सचिव वित्त के पत्रांक 236/XXVII/(124)/2017 दिनांक 22 सितंबर 2017 का उल्लेख करते हुए समस्त प्राचार्यो को निर्देशित किया गया था ।की निर्माण कार्यो से संबन्धित आपत्तियों की बिन्दुवार आख्या एक सप्ताह के अंदर निदेशालय को उपलब्ध करावे। लेखापरीक्षा आपत्तियों मे राजकीय महाविद्यालय लक्सर से संबन्धित दो आपातियाँ प्रमुख थी। जिसकी आख्या निदेशालय को प्रेषित की जानी थी। जो निमन्वत थी

1. योजनाओ हेतु अवमुक्त राशि पर प्राप्त ब्याज रु 4.04 लाख की वापसी नहीं किया जाना।
2. निर्माण निगम पद्यति (विभागीय रूप) से कार्य कराये जाने पर कांट्रेक्टर प्राफ़िट रु 21.35 लाख का संयोजन न किया किया जाना।

अभिलेखो के निरीक्षण मे प्रकाश मे आया की वर्तमान तक न तो कार्यदायी संस्था द्वारा और न ही महाविद्यालय द्वारा प्रस्तरों के निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही की गई। परिणामतः प्रमुख वित्त सचिव के आदेश का पालन नहीं हुआ। तथा महाविद्यालय की दोनों प्रमुख आपत्तियाँ वर्तमान तक अनिस्तारित थी। महाविद्यालय से पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रस्तरों के अनिस्तारित पड़े रहने को स्वीकारा गया था।

अतः रु 25.39 लाख के प्रस्तरों के संबंध मे यथोचित कार्यवाही न किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग II-'ब'

प्रस्तर04:- उच्च शिक्षा निदेशक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर महाविद्यालय द्वारा छात्रनिधियों मे रु 3.96 लाख का अधिक शुल्क लिया जाना ।

विध्यार्थी शुल्क मे एकरूपता लाने सम्बन्धी दिनांक 20 जून 2017 को निदेशक उच्च शिक्षा की अध्यक्षता मे कुमाऊँ मण्डल और गढ़वाल मण्डल के प्राचार्यो की बैठक का आयोजन उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी मे किया गया, जिसमें उत्तराखंड मे स्थित महाविध्यालयों मे सत्र 2017-18 से छात्र निधियो के लिए शुल्क का निर्धारण करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि सत्र 2017-18 से छात्र-छात्राओं से काशनमनी शुल्क नहीं लिया जायेगा । तदोपरांत दिनांक 04 अप्रैल 2018 को आयोजित बैठक में दिनांक 20 जून 2017 की बैठक में निर्धारित वार्षिक शुल्क की राशियों में संशोधन हेतु दिनांक 12 अप्रैल 2018 को शासनादेश जारी किया गया था, किन्तु छात्र शुल्क निधियों में हुए उपरोक्त संशोधन को शासनादेश संख्या डिग्री सेवा /482/2018-19(P.S) दिनांक 17 अप्रैल 2018 द्वारा तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया था।

प्राचार्य,राजकीय महाविद्यालय ,लक्सर,हरिद्वार के छात्र शुल्क निधियों से सम्बंधित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा सत्र 2018-19 से वर्तमान सत्र 2020-21 तक छात्र शुल्क, वार्षिक शुल्क की संशोधित दरों पर ही प्राप्त किया जा रहा था । किन्तु उपरोक्त वर्णानुसार महाविद्यालय को संशोधित शुल्क के स्थान पर पूर्व में निर्धारित (दिनांक 20 जून 2017 की बैठक) शुल्क के अनुसार ही छात्र-छात्राओं से शुल्क प्राप्त किया जाना था । परिणामस्वरुप सत्र 2018-19 से 2020-21 तक छात्र शुल्क निधियो मे रु 3.96 लाख अधिक लिए गए थे (विवरण संलग्न), जो कि निदेशक उच्च शिक्षा के निर्देशानुसार अनियमित था ।

आगे जाँच में यह भी पाया गया की महाविद्यालय द्वारा सत्र 2018-19 से सत्र 2020-21 तक छात्रों से काशनमनी के रूप में कुल रू 1.56/- लाख का शुल्क प्राप्त किया गया जबकि उपरोक्त उल्लेखित बैठक (दिनांक 20 जून 2017) में लिए गये निर्णयानुसार छात्र-छात्राओं से काशनमनी लेना निषेध करार दिया गया था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वतः स्वीकार करते हुए कहा गया कि जानकारी के आभाव में संशोधित दरों पर शुल्क एवं काशनमनी शुल्क लिया जा रहा था ।स्थगन आदेश की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् अविलम्ब प्रभाव से कार्यवाही की जा रही है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग 2'ब'

प्रस्तर05:- अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत रु 0.33 लाख की कटौती न किया जाना

अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत संशोधित शासनादेश संख्या 214 (1)XXVVIII-3-2020-04/2008.T.C. दिनांक 4/05/2020 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिको एवं पेशनर्स को S.G.H.S. के तहत सातवे वेतनमान के अनुसार C.G.H.S. (Central Government Health Scheme) दरो पर अंशदान नियमानुसार लिया जाएगा।

1. वेतन लेवल 1 से 5 तक के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स. पारिवारिक पेशनर्स रु 250/- प्रतिमाह
2. वेतन लेवल 6 तक के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स. पारिवारिक पेशनर्स रु 450/- प्रतिमाह
3. वेतन लेवल 7 से 11 तक के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स पारिवारिक पेशनर्स रु 650/- प्रतिमाह
4. वेतन लेवल 12 एवं उच्चतर के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स पारिवारिक पेशनर्स रु 1000/- प्रतिमाह

विभागाध्यक्ष / आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपरोक्तनुसार अंशदान की कटौती ट्रेजरी /आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से नियमानुसार की गयी है, एवं कटौतीउपरांत धनराशि राज्यस्वास्थ्य अभिकरण अधिकारी के माध्यम से की गयी है एवंकटौतीउपरांत " राज्यस्वास्थ्य अभिकरण" के खाते मे E-Transaction के माध्यम से प्रतिमाह जमा की जा रही है।

अटल आयुष्मान योजना एवं वेतन से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि महाविद्यालय मे किसी भी कार्मिक का योजना के अंतर्गत अंशदान की कोई भी कटौतीनहीं की जा रही है। (विवरणसंलग्न) लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त अधिकारियो/कर्मचारियों का ऑनलाइन आवेदन अपलोड है अग्रिम कार्यवाही स्वास्थ विभाग से लंबित है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि कार्यालय द्वारा सभी अधिकारियो/कर्मचारियों के आवेदनो को ट्रेजरी मे न भेज कर स्वास्थ विभाग को भेजे गए जिस कारण वर्तमान तक अटल आयुष्मान योजना की कटौती प्रारम्भ नहीं हो पायी है।

अतः अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत रु 0.33 लाख की कटौती न किये जाने के प्रकरण को संज्ञान मे लाया जाता है

क्र.स.	नाम एवं पदनाम	वेतन लेवल	नियमानुसार जाने वाली कट	कुल	कुल लंबित कट
1.	डा॰ छाया चतुर्वेदी, प्राचार्या	14	1000	6	6000
2.	डा॰ आशुतोष शरण, एसो॰प्रो॰	13	1000	6	6000
3.	डा॰ राम कृपाल वर्मा, एसो॰प्रो॰	13	1000	6	6000
4.	डा॰ अंजनी प्रसाद दुबे, एसो॰प्रो॰	13	1000	6	6000
5.	डा॰ दुर्गेश कुमारी, असि॰ प्रो॰	10	650	6	3900
6.	डा॰ कनुप्रिया, असि॰ प्रो॰	10	650	6	3900
7.	श्रीमती शिवानी प्रजेश, सहा॰पुस्त॰	05	250	6	1500
			कुल योग		रु 33,300

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II'अ'**	**भाग-II'ब'**	**स्टैन**
93/2013-14	_	01	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालयप्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्राचार्या,राजकीय महविद्यालय लक्सर,हरिद्वार**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्याक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
	डा॰ आशुतोष शरण	प्राचार्या (प्र)	04.05.13से 16.07.14
1	डा॰ आर॰सी॰ पुरोहित	प्राचार्य	17.07.14 से 28.06.16
2	डा॰ आशुतोष शरण	प्राचार्या (प्र)	29.06.16 से 25.08.16
3	प्रो॰ प्रवीन जोशी	प्राचार्य	26.08.16 से 04.02.19
4	डा॰ प्रशांत कुमार सिंह	प्राचार्या (प्र)	05.02.19 से 22.05.20
5	डा॰ छाया चतुर्वेदी	प्राचार्या	22.05.20 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्राचार्या,राजकीय महविद्यालय लक्सर,हरिद्वार**को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/एएमजी-I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,महालेखाकार भवन,कौलागढ़, देहरादून- 248195" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

AMG-I